web: www.nyaysakshi.com || पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल || पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक-सेहत-विज्ञान-फीचर

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, बुधवार 06 नवम्बर 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 39

महत्वपूर्ण एवं खास

पटरी टूटने से पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बची

कटनी (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के कटनी-जबलपुर रेल खंड के बीच पटरी टूटने के चलते आज सुबह एक पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बची, लेकिन इस घटनाक्रम से ट्रेन में सवार यात्री घबरा गए और वे ट्रेन के रुकते ही उतर गए। इस घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ट्रेन नंबर 51702 जबलपुर रीवा शटल सुबह लगभग 9:50 बजे निवार से आगे बढ़ी कटनी साउथ स्टेशन के पहले ट्रेन की पटरी टूटी हुई थी। ट्रेन गुजरने पर लगे झटकों से ड्राइवर द्वारा ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका गया। इस दौरान यात्री घबराकर ट्रेन के नीचे कूद गए। इसके बाद डाउन लाइन पर पटरी फेक्चर होने की जानकारी रेलवे इंजीनियर विभाग को दी गई।

युवती के साथ चलती कार में 5 घंटे तक गैंगरेप

» दिल दहला देने वाली वारदात

दौसा(आरएनएस)। राजस्थान के दौसा जिले में रेप का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक 19 साल की युवती को अगवा कर तीन लोगों ने चलती कार में उसके साथ 5 घंटे तक सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने युवती को पुलिस में शिकायत कराने पर जान से मारने की धमकी भी दी। करीब 10 बजे आरोपी युवती को लालसोट इलाके में छोड़कर भाग गए। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस के मुताबिक, युवती को कार में बिठाकर उसकी आंख में पट्टी बांध दी गई और चलती गाड़ी में पांच घंटे तक उसके साथ बर्बरता की गई। लालसोट सर्कल ऑफिसर मनराज मीणा ने युवती के तीनों आरोपियों से पहचान होने की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मीणा ने कहा, युवती ने उसी दिन जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई लेकिन हम धारा 164 के तहत उसका बयान मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं करा सके क्योंकि कोर्ट वीकेंड में बंद था। अब इस हफ्ते बयान दर्ज किया जाएगा। मीणा ने बताया, पीड़िता का मेडिकल पूरा हो चुका है और आईपीसी की धारा 376 डी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

मुजफ्फरपुर में ट्रक ने ऑटो को रौंदा, 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत

मुजफ्फरपुर (आरएनएस)। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल स्थित पेट्रोल पंप के पास सोमवार की देर रात ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। इसमें दो बच्चियों सहित पांच लोगों की मौत हो गई। वहीं, एक बच्ची व युवती की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच पहुंचाया गया है जिनका इलाज आईसीयू में जारी है। हादसे में मरे चार लोगों की पहचान हुई है। सभी एक ही परिवार के हैं।मृतकों की पहचान धर्मवीर पासवान, उसकी पत्नी रंजू देवी और बेटा बिरजू व साजन कुमार के रूप में हुई है। एक मृतक की पहचान अबतक नहीं हो सकी है।

शिवसेना की लड़ाई सच्चाई और न्याय के लिए, मुख्यमंत्री हमारा होगा : राउत

मुंबई (आरएनएस)। शिवसेना सांसद संजय राउत ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री शिवसेना से ही होगा। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्टी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में सच्चाई, न्याय और अधिकारों के लिए लड़ रही है। राउत ने आत्मविश्वास के साथ कहा, राज्य के ऊपर लगा ग्रहण जल्द हट जाएगा और नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह जल्द होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने का निर्णय महाराष्ट्र में ही लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दखलंदाजी को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना, भाजपा सहयोगी दल हैं। शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा, यह हमारा सच्चाई, न्याय और अधिकारों के लिए संघर्ष है।

पुलिस व वकील प्रकरण पर गृह मंत्रालय ने मांगा स्पष्टीकरण

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 नवंबर को तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस वालों के बीच हुए हिंसक झड़प का संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के रविवार को जारी उन आदेशों पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें घटना की न्यायिक जांच करवाने और एफआईआर में नामजद वकीलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश दिये गये थे।

सूत्रों के अनुसार दिल्ली में पुलिसवालों और वकीलों के बीच का टकराव का मामला इतना तूल पकड़ता जा रहा है कि दिल्ली में मंगलवार को पहली बार सैकड़ों पुलिसवाले और उनके परिजन विरोध के तौर पर सड़क पर उतरे हैं और अपने ही मुख्यालय के बाहर इंसाफ की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस मामले के बीच उतरना पड़ा है। गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट में याचिका डालकर रविवार को उसके आदेश पर स्पष्टीकरण की मांग की है। गृह मंत्रालय ने आदेश में संशोधन की मांग करते हुए हाई कोर्ट में दायर याचिका के स्पष्टीकरण में उन आदेशों का वापस लेने की मांग की है जिसमें निर्देश दिया गया है कि जिन वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली के सभी 6 डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशनों को नोटिस जारी किया है। इस पर बुधवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी।

हाईकोर्ट के आदेश पर स्पष्टीकरण की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 नवंबर को तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस वालों के बीच हुए हिंसक झड़प का संज्ञान लेते हुए रविवार को न्यायिक जांच का आदेश दिया था। इसके अलावा हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जिन वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हैं, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो। इससे पहले तीस हजारी कांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस घटना में कम से कम 20 सुरक्षाकर्मी और कई वकील घायल हुए। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यह एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने शनिवार की घटना की परिस्थितियों और उसके बाद की गई कार्रवाई का विवरण दिया है।

पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन

अधिकारी ने बताया कि इस रिपोर्ट में शनिवार के बाद हुई घटनाओं को शामिल नहीं किया गया है, जैसे सोमवार को हुई एक घटना, जिसमें वकीलों के एक समूह ने साकेत कोर्ट के बाहर एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। इन घटनाओं के बाद सैकड़ों पुलिस कर्मचारी मंगलवार को यहां पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध में एकत्र हुए। पुलिसकर्मियों ने तख्तियां ले रखी थीं जिन पर लिखा था कि पुलिस वर्दी में हम इंसान हैं और रक्षा करने वालों को सुरक्षा की जरूरत है। पुलिसकर्मी आईटीओ स्थित पुलिस मुख्यालय के बाहर जमा हुए और उन्होंने अपने वरिष्ठों से अनुरोध किया कि वर्दी का सम्मान बचाने की खातिर वे उनके साथ खड़े रहें।

प्रदर्शन करते पुलिसकर्मियों ने किरण बेदी को किया याद

» 31 साल पहले वकीलों से भिड़ंत पर बेदी ने कराया था लाठीचार्ज

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के बाहर बीते शनिवार को पुलिस और वकीलों के बीच हुई हिंसक झड़प का मामला बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यह ताजा घटनाक्रम 30 पहले की आईपीएस किरण बेदी से जुड़ी घटना की भी यादें कर रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस.एन. ढींगरा को आज भी वो दिन याद हैं, वे बताते हैं तब कैसे और क्या हुआ।

आज मंगलवार को प्रदर्शन करते पुलिस कर्मचारियों से मिलने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक पहुंचे थे, तब उन्हें अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। दरअसल, इस दौरान पुलिस कमिश्नर कैसा हो, किरण बेदी जैसा हो के नारे लगा दिए गए। यहां किरण बेदी को लेकर नारे लगाए जाने पर 30 साल पहले की एक घटना की यादें ताजा हो गई। तब किरण बेदी डीसीपी थीं, दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच जमकर बवाल मचा था। तमाम अदालतों को बंद करा दिया गया था।

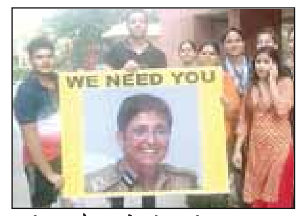

तीस साल पहले क्या हुई थी घटना- यह घटना 17 फरवरी 1988 की है। इस दिन डीसीपी किरण बेदी के दफ्तर में वकील पहुंचे हुए थे। इस बीच किसी बात पर बहस हो गई जो झड़प में बदल गई, इस दौरान बेकाबू भीड़ के कारण हालात ऐसे हो गए कि किरण बेदी को लाठीचार्ज कराना पड़ा।

पाक ने फिर तोड़ा सीजफायर, पुंछ में की गोलीबारी

जम्मू (आरएनएस)। पाकिस्तानी रेंजरों ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्षविराम का एक बार फिर उल्लंघन किया और पुंछ जिले में अग्रिम चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय सेना ने भी इसका माकूल जवाब दिया। उन्होंने कहा, ''सुबह सात बजकर 40 मिनट पर पाकिस्तानी सेना ने संघर्षविराम का अकारण उल्लंघन किया और पुंछ जिले के किरनी सेक्टर में नियंत्रणरेखा पर छोटे हथियारों से गोलाबारी की।''सुबह करीब आठ बजे गोलीबारी बंद हुई। अधिकारी ने बताया कि सोमवार रात भी पाकिस्तानी रेंजरों ने हीरानगर सेक्टर में मनयारी-चोरगली क्षेत्र में सीमा पार से गोलीबारी की। सीमा की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ ने भी इसका जवाब दिया।पाकिस्तानी सेना आए दिन संघर्षविराम का उल्लंघन कर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। पाक की ओर से की जा रही फायरिंग के चलते सीमा से सटे इलाकों के नागरिक सहमे हुए हैं। इससे पहले दिवाली के दिन भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया था। राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में संघर्षविराम का उल्लंघन किया था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की जिसमें भारतीय सेना का एक जवान घायल हो गया था।

तीन दिवसीय दौरे पर राजनाथ सिंह पहुंचे रूस

नई दिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को तीन दिवसीय दौरे पर रूस पहुंच गए है। अपनी इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री सेना और सैन्य तकनीकी सहयोग पर 19वें भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। राजनाथ सिंह अपनी इस यात्रा के दौरान रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु के साथ दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग और रक्षा औद्योगिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन विचार विमर्श करेंगे।

ऐहतियात के तौर पर केंद्र ने यूपी भेजे चार हजार जवान

» अयोध्या मामला

नई दिल्ली (आरएनएस)। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले अगले सात कार्यदिवसों के भीतर आ सकता है। कारण कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में उनके कार्यकाल के बस सात कार्यदिवस ही शेष हैं। साफ है कि सुनवाई कर रही पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ इन्हीं दिनों में फैसला सुना सकती है।

केंद्र सरकार ने इस फैसले के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय शस्त्र पुलिस बल के करीब चार हजार जवानों को उत्तर प्रदेश भेजा है। यह पुलिस बल 18 नवंबर तक राज्य में तैनात रहेगा। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते सोमवार को ही इस संबंध में फैसला लिया है। जिसमें मंत्रालय ने तुरंत प्रभाव से पैरामिलिट्री फोर्स की पंद्रह कंपनियों को भेजने की मंजूरी दी। मंत्रालय के आदेश के मुताबिक पैरा मिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियों के अलावा बीएसएफ, आरएएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की तीन-तीन कंपनियां भेजने को भी मंजूरी दी गई है। इस फैसले से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सुरक्षा-व्यवस्था पुख्ता करने जोर दिया है। पूरे राज्य में धारा-144 लागू है।

आरबीआई ने पीएमसी बैंक ग्राहकों को दी राहत, अब 50 हजार रुपए तक निकाल सकेंगे

मुंबई (आरएनएस)। रिजर्व बैंक ऑफइंडिया ने पंजाब एवं महाराष्ट्र कापरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने बैंक के खाताधारकों के लिए पैसे निकालने की सीमा बढ़ा दी है। आरबीआई ने खाताधारकों को अपने बैंक खाते से 6 महीने में 50 हजार रुपए निकालने की अनुमति दे दी है। अभी तक यह सीमा 40 हजार रुपए थी। 10 हजार की वृद्धि से ग्राहकों को राहत मिली है। आरबीआई के अनुसार, निकासी की सीमा 50 हजार रुपये करने से बैंक के 78 प्रतिशत ग्राहक अपने खाते से पूरी राशि निकाल सकेंगे। उसने कहा कि आगे भी वह बैंक के पास उपलब्ध राशि की समीक्षा करता रहेगा और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाये जायेंगे। पीएमसी बैंक में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की शिकायतों के बाद आरबीआई ने जाँच शुरू की थी तथा उसके परिचालन तथा ग्राहकों के बैंक से पैसे निकालने के संबंध में कई निर्देश जारी किये थे। बाद में कई चरणों में कुल निकासी की सीमा बढ़ाई गयी है। उधर, मुंबई में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के जमाकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक कार्यालय के बाहर आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और लोगों की लगातार हो रहीं मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएमसी बैंक में वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद से अब तक करीब आठ खाताधारकों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (4 नवंबर) को आरबीआई से पूछा था कि उसने घोटाले की मार झेल रहे पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं।

कर्नाटक विधायक को अयोग्य ठहराने के मामले में नए तथ्य देखेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कर्नाटक के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल द्वारा लाए गए नए तथ्यों पर गौर करेगा। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल चाहते हैं कि अयोग्य ठहराए गए विधायकों की याचिका पर विचार करने के लिए कथित तौर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा का टेप पर विचार किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट का किशोर न्याय समिति से नई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को बाल अधिकार कार्यकर्ता एनाक्षी गांगुली की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति से एक ताजा विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। गांगुली ने दावा किया कि अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद कई बच्चों को हिरासत में लिया गया है। न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने किशोर न्याय समिति से कहा कि वह अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र पेश करें। पीठ ने इसके साथ ही इस मामले को तीन दिसंबर के लिये सूचीबद्ध कर दिया है।

पीठ ने इन आरोपों की नये सिरे से जांच की आवश्यकता है क्योंकि समिति की पहले की रिपोर्ट समयाभाव की वजह से शीर्ष अदालत के आदेश के अनुरूप नहीं थी। शीर्ष अदालत कश्मीर घाटी में गैरकानूनी तरीके से नाबालिगों को कथित रूप से हिरासत में लिये जाने का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

मलंग बाबा की मजार क्षतिग्रस्त, सात आरोपी गिरफ्तार

सिद्धार्थनगर (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज क्षेत्र में अराजक तत्वों ने मलंग बाबा की मजार को क्षतिग्रस्त कर दिया, इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार रात कुछ अराजक तत्वों ने बढ़नी चाफा स्थित मलंग बाबा की मजार को क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने क्षतिग्रस्त मजार की मरम्मत करा दी है। इस सिलसिले में मामला दर्ज करने के बाद आरोपी सात लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले की छानबीन की जा रही है।

विज्ञान व तकनीक के बिना किसी देश की तरक्की नहीं: मोदी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में बिना विज्ञान और तकनीक के तरक्की करने वाला कोई देश नहीं है।

पीएम मोदी ने कहा, भारत ने दुनिया को कई महान वैज्ञानिक दिए हैं। हमारा इतिहास हमें गौरवान्वित करता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारा वर्तमान भी विज्ञान से पूरी तरह से प्रभावित है। भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम मानव मूल्यों के साथ विज्ञान और तकनीक को लेकर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा, सरकार नवीनता और अविष्कार को संस्थान के स्तर पर सहयोग कर रही है। विज्ञान और तकनीक को लेकर बनाया गया इकोसिस्टम और मजबूत हुआ है।

प्रदूषण और गुजरात में तूफान पर समीक्षा - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और गुजरात चक्रवात की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में उपस्थित लोगों में प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव और प्रधान मंत्री के प्रधान सलाहकार शामिल थे। गौरतलब है कि गुजरात, महाराष्ट्र, दमन-दीव और दादर और नगर हवेली के कुछ स्थानों पर अत्यधिक भयंकर चक्रवाती तूफान 'महा' के कारण भारी बारिश होने की संभावना है।

भारतीय मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही मछुआरों को छह नवंबर तक मछली पकड़ने के लिए हुए कुल निलंबन का निरीक्षण करने को कहा गया है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) ने सोमवार को गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और दीव में चक्रवात 'महा' से बचाव के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की थी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली समिति ने बचाव और राहत कार्यों की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यकतानुसार अधिकारियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए।

आज गुजरात का रुख करेगा महा' तूफान, तेज बारिश के साथ 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा

नई दिल्ली (आरएनएस)। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान महा मंगलवार को गुजरात की ओर रुख करेगा। मौसम विज्ञान विभाग ने गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, दमन-दीव और दादरा-नागर हवेली के कुछ हिस्सों में 6 और 7 नवंबर के लिए अलर्ट जारी किया है। इन दो दिनों में भारी बारिश और 60 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

वहीं राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) ने सोमवार को गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और दीव में चक्रवात 'महा' से बचाव के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की।

कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली समिति ने बचाव और राहत कार्यों की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यकतानुसार अधिकारियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। आईएमडी ने समिति को बताया कि वर्तमान में पूर्व-मध्य अरब सागर पर मंडरा रहा यह चक्रवात उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और मंगलवार तक इसकी गति बढ़ने की संभावना है। इसके बाद चक्रवात कमजोर होगा तथा छह नवंबर की रात और सात नवंबर की सुबह तक गुजरात और महाराष्ट्र तट को प्रभावित करेगा। कहा गया है कि 90-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और 1.5 मीटर तक की ज्वारीय लहरों के साथ भारी वर्षा होने का अनुमान है।